International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 16-05-2022, Accepted: 01-06-2022, Published: 18-06-2022
Volume 8, Issue 3, 2022, Page No. 43-46

राजभाषा संबंधी सांविधानिक व्यवस्था में लोकहित

अशोक कुमार नायक
प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर, महाराष्ट्र, भारत

सारांश
संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। देश के संविधान निर्माताओं ने 14 सितम्बर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया। संघ की राजभाषा के रूप में लगभग पिछले 72 सालों से हिंदी का प्रयोग होता आ रहा है। हाल के दिनों में देखा गया है कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के संबंध में कई तरह प्रश्न किए जा रहे हैं। संसद के पटल पर भी माननीय सांसदों द्वारा ऐसे प्रश्न रखे जा रहे हैं जिसमें राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा और हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस आलेख का मुख्य उद्देश्य राजभाषा के संबंध में सांविधानिक स्थिति स्पष्ट करते हुए राजभाषा नीति के तहत लोकहित की भावना को उजागर करना है।

मूल शब्दः हिंदीतर भाषी, शासकीय प्रयोजन, भाषागत व्यवधान, भाषाई अल्पसंख्यक, सामासिक संस्कृति

प्रस्तावना

भारत में राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल लगभग 10 वीं शती के आसपास शुरु होने लगी थी। हिंदी की अभिव्यक्ति शैली सरल और सहज होने के कारण यह जनसाधारण के बीच लोकप्रिय थी। इसकी लोकप्रियता और व्यापकता को ध्यान में रखते हुए विदेशी शासकों ने भी इसे राजकाज की भाषा बनाई। दक्षिण भारत के शासकों ने हिंदी को सम्पर्क भाषा के रूप में अपने दरबारों में जगह दी। हिंदी के जनभाषाई स्वरूप का उदाहरण हमें दसवीं शती के आसपास मिलने लगा था। 1030 ई. के आसपास अलबरूनी ने संस्कृत को मृत भाषा के रूप में देखते हुए लिखा है " इसके अतिरिक्त भाषा का एक उपेक्षित एवं बोलचाल का रूप उपलब्ध है, जिसका जनसाधारण में प्रचलन है।"

अलबरूनी के इस कथन से यह प्रमाणित होता है कि जन भाषा के रूप में हिंदी का प्रचलन बहुत पहले से होता रहा है। उन्होंने हिंदी की जनभाषाई स्वरूप को "उपेक्षित" और "बोलचाल" का रूप कहा है जो आज के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। आज उच्च तथा सुशिक्षित वर्ग अंग्रेजी का प्रयोग करना उचित समझते हैं जबकि जनसाधारण के बीच हिंदी का बोलचाल रूप सबसे अधिक प्रचलन में है।

राष्ट्रीय स्तर पर भाषा के रूप में हिंदी का पुनर्जागरण आजादी की लड़ाई के दौरान हुआ। पूरे भारत में हिंदी भाषा के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई को जन–जन तक पहुंचाई गई। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेताजी सुबाष चंन्द्र बोस आदि हिंदीतर भाषी राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी की लोकप्रियता और व्यापकता को ध्यान में रखकर हिंदी को राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा बनाई। हिंदी भाषा ने आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित किया। गांधी जी ने 1931 में 'यंग इंडिया' में लिखा है कि " Hindi is the only possible commen Language." उन्होंने 1937 में "हरिजन" में लिखा है– "राष्ट्रभाषा की जगह एक हिंदी ही ले सकती है। दूसरी कोई जबान नहीं।" 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की भाषा नीति में कहा गया है " यथासंभव कांग्रेस की कार्यवाही हिंदुस्तानी में की जाएगी । यदि भाषणकर्ता हिंदुस्तानी बोलने में असमर्थ है या जब आवश्यक हो, अंग्रेजी या अन्य प्रांतीय भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों की कार्यवाहियाँ सामान्यतः संबंधित प्रांत की भाषा में संचालित होंगी, हिंदुस्तानी का प्रयोग भी किया जा सकता है।"

राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने अपने देश की भाषाओं या हिंदी में अपनी बात रखी जिससे लोगों के मन में अपनी भाषा के प्रति आत्मविश्वास बढ़ा और हिंदी के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी बल मिला। चूंकि क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी की पूरक शक्ति हैं, इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं की मजबूती, दरअसल हिंदी की मजबूती है।

सरकार की राजभाषा नीति का जनभाषाई स्वरूप

राजभाषा सरकार और जनता के बीच संवाद स्थापित करती इसलिए यह जरूरी है कि जनता की भाषा में सरकारी कामकाज हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आजादी के बाद सरकारी नीतियों–निदेशों और आदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए हिंदी को संघ की राजभाषा बनाई गई। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा देने से पहले इस बारे में निर्णय लेने के लिए एक भाषा आयोग का गठन किया गाया। इस आयोग के सदस्यों ने पूरे देश भर में घूम–घूम कर जनता और संबंधित विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और निष्कर्ष निकाला कि संघ की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए।

भारत के संविधान के भाग 5, भाग 6 और भाग 17 के कुल 11 अनुच्छेदों में संघ की राजभाषा के संबंध में विस्तार से विवेचन किया गया है। भाग 5 में अध्याय–1 के तहत अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, भाग 6 के

अनुच्छेद 210 में तहत विधान–मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा और भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के उपयोग के बारे में बातें रखी गई हैं।
अनुच्छेद 343 के तहत तीन बातें कही गई हैं। प्रथम संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी एवं अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। दूसरे संविधान लागू होने के 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। तीसरे, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के बाद विधि द्वारा (क) अंग्रेजी भाषा का, या (ख) अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए गए हों।
सरकार की राजभाषा नीति के तहत संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। सदस्य अपनी बात मातृभाषा में भी रख सकेगा। राज्य के विधान मंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। सदस्य अपनी बात मातृभाषा में रख सकते हैं। संघ के साथ हिंदी में पत्राचार, राज्यों के बीच सहमति से पत्रादि के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग, राज्यों द्वारा अपने राज्य की किसी भाषा को आधिकारिक या राजभाषा के लिए शासकीय मान्यता, अनुच्छेद 350 के तहत प्रत्येक व्यक्तियों द्वार अपने दुखों के निवारण के लिए किसी भाषा का प्रयोग, भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, जनता के साथ हिंदी में पत्राचार आदि प्रावधान किए गए जो राजभाषा का जनभाषाई स्वरूप है। संविधान निर्माताओं ने संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक हिंदी के साथ–साथ अंग्रेजी में भी कामकाज होते रहने की व्यवस्था की है। उन्होंने 15 वर्ष का समय देकर यह अपेक्षा की थी कि इस समय अवधि में हिंदी में कार्य करने के लिए आवश्यक ढांचागत तैयारियां कर ली जाएंगी। सभी जरूरी संसाधन जुटा लिए जाएंगे जिससे संघ का कामकाज अंग्रेजी की जगह हिंदी में किया जा सके।
स्वाधीन भारत के लिए यह जरूरी था कि राजकाज का काम जनता की भाषा में किया जाए। वैदिक काल में संस्कृत, बौद्ध काल में पाली, मुगल काल में फारसी और अंग्रेज काल में अंग्रेजी शासन की भाषा रही लेकिन आमजन की भाषा और कुछ रही। आजादी के बाद राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करना जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप जनभाषा को प्रतिष्ठित करना है।

सरकार की राजभाषा नीति और लोकहित

सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में संसद पटल पर पूछे गए कुछ प्रश्नों के आलोक में राजभाषा नीति में लोकहित की भावना का विश्लेषण करना उचित होगा। राजभाषा विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट में 12–06–1999 से 24–03–2021 की अवधि के दौरान राजभाषा के संबंध पूछे गए कुल 127 प्रश्नों का विवरण दिया गया है।

1. क्या सरकार ने हिंदी को राष्ट्रभाषा दर्जा, जैसाकि भारत के संविधान में लिखा है, देने के लिए कोई प्रयास किया है? (लोकसभा, अतारांकित प्रश्न सं. 6184, दिनांक 04–05–2010 श्री गोरख प्रसाद जायसवाल एवं श्री यशवंत लागुरी)
2. क्या आंन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह अनुरोध किया है कि तेलगु को अंग्रेजी और हिंदी के साथ केंद्र की अतिरिक्त राजभाषा के रूप में घोषित किया जाए। (लोकसभा, अतारांकित प्रश्न सं. 1821, दिनांक 20–07–2014 श्री एस.पी.वाई. रेड्डी)
3. क्या प्रधानमंत्री ने 7 अक्तूबर 2004 को नई दिल्ली में कहा था कि केंद्र शीघ्र ही सभी 18 भाषाओं को राजभाषा घोषित करने की व्यवहार्यता संबंधी समिति गठित करेगा? (लोकसभा, अतारांकित प्रश्न सं. 2064, दिनांक 14–12–2014 श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर)
4. किसी भाषा को राजभाषा घोषित करने संबंधी निर्धारित मानदण्ड क्या हैं; और (ख) देश में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है? (लोकसभा, अतारांकित प्रश्न सं. 2203, दिनांक 23–11–2023 श्री अर्जुन राम मेघवाल)
5. क्या सरकार ने बैंगलुरु मेट्रो को त्रिभाषा सूत्र लागू करने तथा कर्नाटक जैसे अहिंदी भाषी राज्य में संकेत बोर्डों को हिंदी में दर्शाने संबंधी निदेश जारी किया है? (लोकसभा, अतारांकित प्रश्न सं. 5751, दिनांक 03–03–2018 श्री बी.एन. चंद्रप्पा)
6. क्या सरकार का विचार सभी भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाएं घोषित करने का है? (लोकसभा, अतारांकित प्रश्न सं. 5259, दिनांक 28–08–2021 श्री टी.टी.वी.दिनाकरन एवं श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन)
7. शासकीय पत्राचार में भाषायी पक्षपात को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और (ख) क्या सरकार की सिर्फ हिंदी को देश की राजभाषा बनाने की योजना है? (राज्यसभा, अतारांकित प्रश्न सं. 1338, दिनांक 03–03–2018, श्री तिरुची शिवा)
8. क्या सरकार ने केंद्र सरकार के सभी विभागों की वेबसाइट पर क्षेत्रीय भाषा को शामिल करने का निर्णय लिया है? (लोकसभा, अतारांकित प्रश्न सं. 2592, दिनांक 10–05–2016 श्री रामदास सी.तडस)
9. क्या सरकार का विचार हिंदी के साथ–साथ संस्कृत को संपर्क भाषा एवं राजभाषा बनाने का है? (लोकसभा, तारांकित प्रश्न सं. 293, दिनांक 16–03–2021, श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल एवं श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह)
10. केंद्र सरकार द्वारा जिन राज्यों में क्षेत्रीय भाषा को मान्यता दी गई है, वहां पर केंद्र सरकार के विभागों और कार्यालयों के साथ–साथ सरकारी बैंकों में क्षेत्रीय भाषा में कार्य करने की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने क्या कोई कदम उठाया है/ उठाने का प्रस्ताव है? (लोकसभा, अतारांकित प्रश्न सं. 3393, दिनांक 01–01–2019, श्री प्रताप राव जाधव)

उक्त प्रश्नों को आधार बनाकर यदि सरकार की राजभाषा नीति की समीक्षा की जाए तो पाएंगे कि राजभाषा के संबंध में अभी भी सांविधनिक स्थिति को स्पष्ट करने की जरूरत है। राजभाषा नीति बनाते समय संविधान निर्माताओं ने संघ की, राज्यों की, जनता की, हिंदीभाषी और हिंदीतर भाषियों की, सरकारी कर्मचारियों की, केंद्र एवं राज्य सरकार के कार्यालयों की, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की, अल्प समुदायों की भाषाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए राजभाषा के माध्यम से देश की सामासिक संस्कृति को बढ़ावा देने का महान लक्ष्य रखा है।

राजभाषा नीति और जनता का हित

जनता और प्रशासन की भाषा एक होने पर सरकार सीधे जनता से संवाद स्थापित कर पाती है। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाकर संसद ने जनता के साथ सीधे संवाद का रास्ता खोल दिया। 1967 में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) को संशोधन करते समय जनता के हितों को पूरी तरह ध्यान में रखा गया। राजभाषा नियम 1976 के नियम 3 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि "क" क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ पत्राचार करते समय असाधारण स्थिति को छोड़कर हिंदी में होंगे। यहां "असाधारण" शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती । ऐसे व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए असाधारण शब्दावली का प्रयोग हुआ होगा ताकि इन्हें अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषाओं में पत्रादि भेजा जा सके। "ख" क्षेत्र में रहने वाली जनता आमतौर पर हिंदी जानती है। उन्हें हिंदी या अंग्रेजी में पत्र भेजने का प्रावधान किया गया है फिर भी केवल हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य नहीं बनाया गया है ताकि जनता के हितों का पूरा ध्यान रखा जा सके। राजभाषा नीति के तहत हिंदीतर प्रदेशों में रहने वाली जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि "ग" क्षेत्र में व्यक्तियों को पत्र आदि अंग्रेजी में जारी किए जाएंगे। अनुच्छेद 350 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी को संघ या उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा में अपना अभिवेदन दे सकता है। राजभाषा नीति में जनसाधारण को ध्यान में रखते हुए आठवीं अनुसूची के तहत विनिर्दिष्ट भाषाओं (वर्तमान में 22 भाषाएं आठवीं अनुसूची के तहत विनिर्दिष्ट हैं) के विकास की जिम्मेदारी संघ को सौंपी गई है। राजभाषा संकल्प 1968 के तहत इस बात का संकल्प लिया गया कि भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर त्रिभाषा सूत्र को लागू करेगी।

सरकार की राजभाषा नीति के तहत राज्य सरकारों के हितों से संबंधित प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राज्य सरकारों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी राजभाषा का चुनाव कर सकें। साथ ही, अनुच्छेद 346 के तहत संविधान लागू होने के समय संघ की प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा राजभाषा होगी। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि यदि दो या अधिक राज्य आपस में यह तय करते हैं कि उनके बीच पत्रादि के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में उन राज्यों के बीच पत्राचार हेतु हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। राजभाषा अधिनियम के तहत जिन राज्यों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ द्वारा उनके साथ पत्रादि के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा।

केंद्र एवं राज्य सरकार के कार्यालयों के हितों से संबंधित प्रावधान

राजभाषा की दृष्टि से पूरे भारत को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। "क", " ख" और "ग" क्षेत्र। 'क" और "ख" क्षेत्र के राज्यों ने हिंदी में संघ के साथ पत्राचार करना स्वीकार किया है। "ग" क्षेत्र में उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रखा गया है जिनकी सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ हिंदी में पत्र व्यवहार करना स्वीकार नहीं किया है। अतः राजभाषा नियम के तहत इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों से "ग" क्षेत्र में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्यों में किसी कार्यालयों, जो केंद्र सरकार का कार्यालय न हो, या व्यक्ति को पत्र आदि अंग्रेजी में होंगे। संविधान के अनुच्छेद 344 के 3 खंड (2) के अधीन यह स्पष्ट किया गया है कि अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यम ध्यान रखेगा। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत जिन 14 दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने के लिए अपेक्षा की गई है, इस प्रावधान के पीछे कार्यालयों का हित समाहित है। क्योंकि कार्यालय के कुछ दस्तावेज तकनीकी स्वरूप के होते हैं और केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह दोनों भाषाओं में प्रवीण हो। इसलिए उक्त दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करने से संभव है कि किसी एक भी भाषा विशेष में प्रवीणता रखने वाले कर्मचारी उसे आसानी से समझ सकेंगे।

राजभाषा नीति और कर्मचारियों का हित

केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह हिंदी सीखें, चाहे उनकी तैनाती किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो। पर ऐसी अपेक्षा राज्य सरकार के कार्यालयों और व्यक्तियों से नहीं की जा सकती। हिंदी भाषी क्षेत्रों में राज्य सरकार के कर्मचारियों और व्यक्तियों को तो हिंदी आती है लेकिन अन्य राज्यों अर्थात हिंदीतर राज्यों में स्थिति विपरीत है। संसद के 1968 के संकल्प में इस बात का प्रावधान है कि उन विशेष सेवाओं और पदों को छोड़कर जिनके लिए केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों, जैसी भी स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ की सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवार के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में किसी एक भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा । इस प्रकार संविधान में भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी भाषा–भाषियों के हित का सम्यक ध्यान रखा गया है।

1960 के राष्ट्रपति के आदेश के तहत केंद्र सरकार ने श्रेणी ᐩ और श्रेणी ᐩᐩ के कर्मचारियों के लिए हिंदी सीखना अनिवार्य बनाया है। हिंदीतर भाषा भाषियों को ध्यान में रखकर उन्हें उचित प्रशिक्षण एवं मानदेय द्वारा हिंदी में कार्य साधक एवं प्रवीण बनाने का लक्ष्य पूरा किए जाने का प्रयत्न हो रहे हैं, वहीं यह भी ध्यान रखा गया है कि हिंदी जानने वाले स्टाफ सदस्यों के हितों की भी अनदेखी न की जाए। राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणियां हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि इसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

इसका तात्पर्य है कि हिंदी जानने वाले अपना कार्य हिंदी में करने के लिए स्वतंत्र हैं और उनसे अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह हिंदी में किए गए अपने कार्य का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करे। इस प्रकार राजभाषा नियम के तहत हिंदी जानने वालों के हितों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है।

राजभाषा हिंदी के माध्यम से भारत की सामासिक संस्कृति का प्रसार

भारत सरकार की राजभाषा नीति देश की सामासिक संस्कृति का सुंदर उदाहरण है। संविधान के अनुच्छेद 351 में राजभाषा के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और भाषाई एकता को बल प्रदान किया गया है। हिंदी भाषा का विकास और प्रसार बढ़ाने का दायित्व संघ को दिया गया है। राजभाषा हिंदी के विकास से जुड़े कार्य संघ को इस कारण दिया गया है कि इससे राजभाषा हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप का विकास होगा। भाषा में एकरूपता आएगी। केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त होने पर इसकी शब्दावली का विकास होगा ताकि बाकी जगह इसके प्रयोग के रास्ते खुलेंगे। संघ द्वारा राजभाषा हिंदी का विकास इस प्रकार किया जाए कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बने। संविधान निर्माताओं ने यह विज़न रखा था कि राजभाषा हिंदी में सभी संस्कृतियों का समागम हो और इसकी शैली और वाक्य विन्यास में भी भारतीय भाषाओं का मेल हो। इससे भाषाई एकता आएगी और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित भाषाएं जुड़ पाएंगी। राजभाषा हिंदी के विकास करते समय यह कहा गया है कि इसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात किया जाए । इस संदर्भ में राजभाषा हिंदी के विकास करते समय उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी और भारत की अन्य भाषाओं की शैली , पद, रूप को समाहित करते हुए सरल और सहज हिंदी के विकास पर ध्यान दिया जाए।

निष्कर्ष

भारत सरकार की राजभाषा नीति के उद्देश्य, प्रक्रिया और व्यवहार के संबंध में विस्तार से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि राजभाषा नीति का मुख्य उद्देश्य लोकहित है। इसलिए प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रशिक्षण के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में राजभाषा नीति को लागू करने का प्रावधान किया गया है। संघ की राजभाषा नीति के तहत इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि भारत की सभी भाषाओं का विकास हो। भारतीय भाषाएं एक दूसरे के पूरक बनें। आजादी की लड़ाई के दौरान हिंदी भारत की संपर्क भाषा के रूप में विकसित हुई इसलिए आजादी के बाद इसे भारत संघ की राजभाषा बनाई गई। जहां तक प्रश्न राष्ट्रभाषा की है, हम देश की सारी भाषाओं को राष्ट्रभाषा मान सकते हैं। राष्ट्रभाषा के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।

राजभाषा हिंदी के जरिए जनसाधारण के हितों के साथ–साथ राज्य सरकारों, सरकारी कार्यालयों, स्टाफ सदस्यों आदि सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। सरकार की राजभाषा नीति का सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर पक्ष यह है कि इसके अंतर्गत हिंदी जानने वाले और हिंदी न जानने वाले दोनों स्टाफ सदस्यों के साथ न्याय किया गया है। राजभाषा हिंदी की शब्दावली के विकास करते समय भी भारत की सामासिक संस्कृति का ध्यान रखा गया है। चूंकि केंद्र सरकार के कार्यालय स्टाफ नियोजन के मामले में अखिल भारतीय स्वरूप का होता है, इसलिए राजभाषा नीति के कर्यान्वयन के लिए हिंदी भाषा–भाषी और हिंदीतर भाषा–भाषी स्टाफ को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई गईं हैं। संघीय ढांचा के तहत सभी राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने की आजादी दी गई है। अंग्रेजी का विकल्प देकर किसी एक भाषा में प्रवीण न होने से किसी भी व्यक्ति को कोई हानि न हो इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राजभाषा हिंदी को किसी राज्य, व्यक्ति या संस्था पर थोपी नहीं जा रही है, बल्कि भारत की सामासिक संस्कृति और एकता के लिए राजभाषा हिंदी का विकास आवश्यक प्रतीत होता है। इसके लोकहित स्वरूप को जब लोग समझने लगेंगे तो संभव है कि वे स्वयं हिंदी में काम करना भी शुरू करेंगे जिससे सरकार की राजभाषा नीति का उद्देश्य पूरा हो सके।

संदर्भ सूची

1. सिंह, शंकर दयाल, हिंदी राष्ट्रभाषा राजभाषा जनभाषाः नयी दिल्ली, किताबघर, 2009.
2. www-rajbhasha-gov-in/en/section/section-archive
3. गुप्ता, रमाकांत एवं राय, हरियश, भाषा नीति और लोकहित : नयी दिल्ली, प्रकाशन संस्थान, 2015.
4. शर्मा, पद्मसिंह, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानीः इलाहाबाद, लोकभारती प्रकाशन, 2016.
5. शर्मा, गोपाल, हिंदी की भूमिकाएं : नयी दिल्ली, पुस्तकायन प्रकाशन, 1989.
6. शर्मा, रामबाबू, राजभाषा हिंदी की कहानीः नयी दिल्ली, अंकुर प्रकाशन, 1980.